आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
स्टेट हेल्थ एजेन्सी
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
e-mail - uprsby@yahoo.co.in

पत्रांक :ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई0 / एडवाईजरी / 2023–24 / 470 दिनांक 20 फरवरी, 2024

एडवाईजरी

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
   उत्तर प्रदेश
2. समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालय
   आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना,
   उत्तर प्रदेश।

विषय– **आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीकरण एवं एस.ई.सी. द्वारा निरस्त आवेदनों के सम्बन्ध में**

महोदय,

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत सूचीबद्धता हेतु प्राप्त आवेदनों एवं कतिपय चिकित्सालय द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय का पंजीकरण समाप्त होने के पश्चात् भी योजनान्तर्गत चिकित्सकीय दावे प्रस्तुत किये जा रहे हैं। उक्त प्रकरण को स्टेट इम्पैनेलमेंट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर कमेटी द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया।

- यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जिन चिकित्सालयों की सूचीबद्धता सम्बंधित आवेदनों को स्टेट इम्पैनेलमेंट कमेटी द्वारा निरस्त किया जाता है, वह पुनः सूचीबद्धता हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। समस्त डी.ई.सी. को निर्देशित किया जाता है कि स्टेट इम्पैनेलमेंट कमेटी द्वारा निरस्त आवेदनों को छः माह के पश्चात् ही चिकित्सालय आवेदन करें। यदि चिकित्सालय का आवेदन गलत सूचना प्रदान करें अथवा सूचना छुपाने के क्रम में निरस्त किया गया है, तो निर्धारित समय–सीमा (6 माह) से पूर्व आवेदन करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालयों को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय से चिकित्सालयों का पंजीकरण समाप्त होने के उपरान्त यदि योजनान्तर्गत चिकित्सकीय दावे प्रस्तुत करते हैं, तो उन समस्त दावों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि उस अवधि के दावों का भुगतान हो गया है तो उनकी वसूली की जाएगी।
- पंजीकरण समाप्ति होने से पहले ही चिकित्सालय का नवीनीकरण कराते हुए एच.ई.एम. पोर्टल पर उसकी सूचना अपलोड करें और साथ साथ अन्य अनिवार्य अभिलेख (फायर एन.ओ.सी., बायेवेस्ट एवं पॉल्यूशन एन.ओ.सी. इत्यदि)को भी पोर्टल पर ससमय अपलोड करें।

भवदीया,

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी